संख्या-12/2018-2283/चौदह-4-2018-04 (बजट)/2018

प्रेषक,

डॉ0 दीपक कोहली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4 लखनऊ:दिनांक 21 सितम्बर, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष-2018-19 के लिए अनुदान संख्या-60 में ''सब मिशन आन एग्रो फारेस्ट्री (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)'' योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 476.95 लाख की स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-पी-186/36-बी-8 (सब मि0) दिनांक 07.09.2018 व पत्र सं0-पी-1394/36-बी-8 (सब मि0) दिनांक 25.06.2018 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान संख्या-60- के अन्तर्गत ''सब मिशन आन एग्रो फारेस्ट्री (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)'' योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त/पुनर्वेध की गयी केन्द्रीय सहायता की प्रथम किशत के सापेक्ष रु0 476.95 लाख (रू0 चार करोड़ छिहत्तर लाख पन्चानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 लाख में)
अनुदान संख्या-60-	
राजस्व लेखा	
2406-वानिकी तथा वय जीव	
01-वानिकी	
102-समाज तथा फार्म वानिकी	
09-सब मिशन आन एग्रो फारेस्ट्री(के.60/रा.40-के.+रा.)	
04- या त्रा व्यय	1.75
08- कार्यालय व्यय	7.29
15- गाडियों का अनुरक्षण और पेटोलआदि की खरीद	7.29
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासगिक व्यय	36.76
योग-राजस्व लेखा-	52.79
पूंजीलेखा-	
4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-	
01- वानिकी-	
102- समाज तथा फार्म वानिकी-	
10- सब मिशन आन एग्रो फारेस्ट्री (के.60/रा.40-के.+रा.)	
24- वृहत निर्माण कार्य	418.68
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5.48
योग-पूंजीलेखा	424.16
कुल-योग-	476.95

(रू0 चार करोड छिहत्तर लाख पन्चानबे हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतय य के संबंध में वित्तीजिस व्य : र्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवापुस्तिका के अन्तहस्त सहमति लिया जाना अपेक्षित हो/म अधिकारी की पूर्वानुमति सक्षअन्य, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत : प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं-0सी/1132 0ए0दस-2004-मित 2004/1-दिनांक तथा 7.1.2005 -0शासनादेश संसी/1191 0ए0दस 2007/1-मित-2009-दिनांक एवं इस संबंध में 26.10.2009समयसमय-पर जारी शासनादेशों काअनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- योजनानतर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष को कम नहीं कियावित भौतिक लक्ष्योंर्गत प्रस्ता का होगा तथा योजनान्तकार्यदायी संस्था/ बढ़ाये नहीं जायेंगे।य लक्ष्यएवं वित्ती जायेगा

3- स्वीकृत धनराशि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के उक्त पत्र दिनांक 07.09201.8 व दिनांक 250.6 2018.में उल्लिखित कार्यमदों में ही व्यय किया जाय।

4- प्रश्नगत योजना के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा दिए गये दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया - जाय।

5- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उलीय निरीक्समय पर स्थ-समय 0प्र0षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट/ कार्य प्रगति संबंधी आख्या शासन को समय करायी जायेगी।समय पर उपलब्ध-

6- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-र पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।क स्तसमय पर निर्गत आदेशों का प्रत्ये

7- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय सारिणी निश्चित-कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

8- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता पगुणवत्ता/ ्रमाण भौतिक/ यपत्र एवं वित्ती-प्रगति रिपोर्ट शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।

9- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुण्वत्ता, मानक एवं विशिष्टियो जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी।

10- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजनास्रोत से/धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

11- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु /मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ किया जायेगा।

12- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है तथा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

13- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 19-2018 में स्वीकृत तथा चालू योजनाओं पर ही किया जाएगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जाएगा।

14- स्वीक़त धनराशि व्यय करने से पूर्व यथावश्यक वित्त की जाय तथा समस्तनियोजन विभाग की सहमति प्राप्त/ वर्तमान में प्रवृत्त संगत नियमोंनिर्देशों एवं औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।/

15- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियॉ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य संबंधित विभागों से यथा करने कसहमति नियमानुसार प्राप्त/क अनुमतिआवश्य-े उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

16- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उय नियमोंवित्ती औपचारिकताएं एवंलखनऊ द्वारा समस्त 0प्र 0 य सुनिश्चित किया जाएगा।कतानुसार ही व्यका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा एवं आवश्य

http://shasanadesh.up.nic.in

17- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उय तथा बचत की धनराशि लखनऊ नियमानुसार व्य 0प्र0 सुनिश्चित करेंगे।

18- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगें कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो।

19- विषयगत योजनान्तर्गत हुई कार्य की प्रगति, चित्र)**Photo**(सहित विभागीय वेब-साईट पर अपलोड कराते हुए इसे एक अतिरिक्त बिन्दु)**Additional point** (के रूप में भी विभागीय वेबसाईट पर -इंगित किया जाय।

20- योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई समय पर निर्गत-रिंग विषयक समयटेण्ड-शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं क्रय सम्बन्धी समस्त कार्य जीम से किया जायेगा।पोर्टल के माध्य 0एम0ई0

21- वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों निर्देशों का/पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0-ई-7-893/ दस-2018 दिनांक 25 सितम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 दीपक कोहली)
उप सचिव

संख्या-2283(1)/चौदह-4-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार द्वितीय उयकेन्द्री 0प्र0 भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं क़षि वानिकी,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- फील्ड डायरेक्टर ,दुधवा टाइगर रिजर्व ,उ।0प्र0
7- वित्त 2/1-अनुभाग (यकव्य-आय)
8- वित्त 7-अनुभाग (नियंत्रण-यव्य)
9- वित्त संसाधन अनुभाग। (य सहायताकेन्द्री)
10- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डा0 दीपक कोहली)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in